न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 56/25 GCMS NO 2025/168

1. पृथ्वी पुत्र स्व0परसराम
2. निहाल सिह पुत्र रामश्री
3. खुशाल सिह पुत्र बच्चू सिह जाति धाकड निवासी बयाना रोड हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. दी स्टेट आफ राजस्थान द्वारिये जिला कलेक्टर करौली
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. चरण सिह पुत्र बृजलाल जाति धाकड निवासी खरेटा रोड गुम्मट प्रहलाद कुण्ड के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली (मृतक)

3/1. राजू पुत्र स्व0चरण सिह

3/2. सोवाराम पुत्र स्व0चरण सिह जातियान धाकड निवासीयान खरेटा रोड गुम्मट प्रहलाद कुण्ड के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली

3/3. प्रेमदेवी पत्नि दयाराम पुत्री स्व0चरण सिह जाति धाकड निवासी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर

3/4. लल्ला देवी पत्नि बच्चू सिह पत्नी स्व0चरण सिह जाति धाकड निवासी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर

3/5. गौरा पत्नि ललित पुत्री स्व0चरण सिह जाति धाकड निवासी खटनावली (वीरमपुरा) तहसील बयाना जिला भरतपुर

4. दीनदयाल पुत्र बृजलाल जाति धाकड निवासी खरेटा रोड गुम्मट प्रहलाद कुण्ड के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली
5. हरि सिह पुत्र बृजलाल जाति धाकड निवासी खरेटा रोड गुम्मट प्रहलाद कुण्ड के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली
6. मनीराम
7. किशनलाल
8. कमल
9. बच्चू सिह
10. मानसिह पिसरान नंदराम पुत्र रजोल जातियान धाकड निवासीयान खरेटा रोड गुम्मट प्रहलाद कुण्ड के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली
11. यादराम पुत्र रजोल जाति धाकड (मृतक)

11/1. रघुवीर पुत्र स्व0यादराम जाति धाकड निवासी खरेटा रोड गुम्मट प्रहलाद कुण्ड के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली

11/2. पप्पू धाकड पुत्र स्व0दयाराम जाति धाकड निवासी खरेटा रोड गुम्मट प्रहलाद कुण्ड के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली

11/3. संतोष पत्नि भीमसिह पुत्री स्व0यादराम जाति धाकड निवासी ईटामडा नगरा भुसावर जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

11/4. असरफी देवी पत्नि स्व0यादराम जाति धाकड निवासी खरेटा रोड गुम्मट प्रहलाद कुण्ड के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 186/13 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.25 न्यायालय उपजिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री नरेन्द्र सिह जादौन
अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

दिनांक 29.12.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.25 न्यायालय उपजिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटगण द्वारा दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती ,घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि साबिक खसरा न0 5437 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा स्थित ग्राम हिण्डौन सिटी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी रही है। उक्त आराजी भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 द्वारा आपस मे बंटवारा कर विभाजित कर लिया था जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 की खातेदारी कब्जे मे उक्त खसरा न0 5437 का 2 बीघा 2 विस्वा रकबा दक्षिण तरफ वाला ख0न0 5437/1 एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 के हिस्से मे 1 बीघा रकबा उत्तर पश्चिमी तरफ वाला ख0न0 5437/3 एवं प्रतिवादी न0 11 के हिस्से मे 1 बीघा रकबा उत्तर पूर्वी तरफ वाला ख0न0 5437/2 आया था। जिसे उक्त प्रतिवादी न0 3 लगायत 11 अपने अपने हिस्सो पर फसल काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे थे। प्रतिवादी न0 3 द्वारा अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक ख0न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा का अपना 1/3 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.3.90 को वादी निहाल सिह पुत्र रामश्री को 15500/-रूपये मे विक्रय कर कब्जे मे दे दिया। प्रतिवादी न0 4 द्वारा भी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक ख0न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा का अपना 1/3 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.3.90 को वादी पृथ्वी पुत्र परशुराम को 15500/-रूपये मे विक्रय कर कब्जे मे दे दिया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक ख0न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा का अपना 1/3 भाग जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.3.90 को वादी खुशालसिह पुत्र बुच्चू सिह को 15500/-रूपये मे विक्रय कर कब्जे मे दे दिया गया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की खातेदारी कब्जे की साबिक आराजी ख0न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा भूमि वादीगण के कब्जे स्वामित्व मे दिनांक 15.3.90 से बदस्तूर आजदिन तक चली आ रही । वादीगण अपनी उक्त [illegible] भूमि पर वहैसियत मालिक काबिज व दखिल रहकर फसल काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। वादीगण उक्त आराजी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

5437/1 की सम्पूर्ण 2 बीघा 2 विस्वा भूमि को खरीद कर कब्जे मे लेकर उक्त आराजी को अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन के लिए पृथक पृथक रूप से प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय मे मय पंजीकृत विकय विलेख 3.7.90 को पेश कर दिये गये थे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादीगण को शीघ्र ही उनके हक मे नामा0 तस्दीक कर अमल राजस्व रिकार्ड करने का आश्वासन देकर प्रार्थना पत्र व विकय पत्र अपने पास रख लिये। वर्ष 1990 मे तहसील हिण्डौन मे सेटलमेट का कार्य प्रारंभ हो गया था इसलिए सवंत 2040 के पश्चात समस्त राजस्व रिकार्ड सेटलमेंट विभाग को भेज दिया गया सेटलमेंट आपरेशन के दौरान साबिक आराजी ख0न0 5437 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा के ख0न0 7491 रकबा 0.25 , 7492 रकबा 0.47 ,7528 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.97 है0 गलत तौर पर कायम किया और मिलान क्षैत्रफल भी वगैर साबिक रिकार्ड का अवलोकन किये कायम किया गया है। सेटलमेंट विभाग वालो मे गलत तौर पर वादीगण की खरीद शुदा कब्जे काश्त व मालिकाना हक की साबिक आराजी ख0न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा को गलत तौर पर राजस्व रिकार्ड मे हाल ख0न0 7528 रकबा 0.25 है0 कायम कर दर्शाया है जबकि मौके पर योम खरीद के दिन से मेरे पक्षकारान हाल खसरा न0 7492 की भूमि पर काबिज व दखिल है। लेकिन सेटलमेंट विभाग वालो ने उक्त खसरा न0 7492 का रकबा भी 0.53 है0 की बजाय 0.47 है0 कायम गलत तौर पर कायम कर प्रतिवादी संख्या 11 की खातेदारी मे दर्ज कर दिया। जबकि विपक्षी संख्या 11 की खातेदारी के साबिक ख0न0 5437/2 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा के बने नवीन ख0न0 7528 को गलत तौर पर वादीगण की भूमि के साबिक मालिक तीन लगायत 5 की खातेदारी मे दर्ज कर दिया । इसी प्रकार प्रतिवादी न0 6 लगायत 10 की खातेदारी व कब्जे काश्त की साबिक आराजी 5437 रकबा 1 बीघा मे साबिक खसरा न0 5444 की 2 विस्वा भूमि को सम्मिलित करते हुए हाल खसरा नं0 7491 रकबा 0.28 है0 0.01 है0 भूमि ख0न0 5437/2 को सम्मिलित करते हुए गलत तौर पर खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार सेटलमेट आपरेशन के दौरान सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियो ने अपनी गफलत लापरवाही व दुराचरण के कारण वादीगण के स्वामित्व की की भूमि साबिक ख0न0 5437/1 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे अन्य लोगो के नाम दर्ज कर दी और मौके के विरूद्व भूमि का रकवा भी कम कर दिया गया। जिसके कारण वादीगण के विधिक अधिकारो का हनन हो रहा है। वर्तमान मे वादीगण का हाल ख0न0 7492 के रकबा 0.5300 है0 पर मौके पर कब्जा है उक्त आराजी मे वादीगण ने इस वर्ष फसल बाजरा काश्त कर दरोह की है। वादीगण को सेटलमेंट विभाग की उक्त गलती की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक ..7.13 से मिलने पर हुई। तत्पश्चात वादीगण द्वारा उक्त गलती को सुधार करने हेतु तहसीलदार से सम्पर्क किया तो तहसीलदार द्वारा न्यायालय मे वाद कर उक्त इन्द्राज को सही कराने के लिए कहा। सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई गलती का प्रतिवादीगण गलत फायदा उठाकर वादीगण के कब्जे मालिकाना हक की भूमि को दीगर लोगो को रहन बय करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण द्वारा इस बाबत वादीगण को सख्तिया धमकी दी गई है। यदि प्रतिवादीगण अपने मसूबे मे कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से होना संभव नही है। इस प्रकार वादीगण के पक्ष मे इस अमर का डिकी फरमाया जावे कि साबिक ख0न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा से बने मौके अनुसार नवीन खसरा न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

7492 रकबा 0.4700 है0(की बजाय रकबा 0.5300 है0) की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 11 के बजाय वादीगण के हक मे दर्ज राजस्व रिकार्ड करे एवं प्रतिवादी सं0 3 ता 5 के नाम दर्ज हाल ख0न0 7528 रकबा 0.2500 है0 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 के नाम दर्ज हाल ख0न0 7491 रकबा 0.2800 है0 मे से 0.01 है0 रकबा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 11 के नाम एवं हाल ख0न0 7491 का रकबा 0.2800 है0 की बजाय 0.2700 है0 प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे एवं वादीगण को वाद दुरूस्ती हाल ख0न0 7492 रकबा 0.5300 है0 का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी हाल खसरा न0 7492 रकबा 0.5300 है0 स्थित ग्राम हिण्डौन सिटी मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांटगण का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। भूमि साबिक खसरा न0 5437 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा कस्बा हिण्डौन सिटी प्रतिवादी न0 3 लगायत 5 के पिता बृजलाल पुत्र ननुआ ,प्रतिवादी न0 11 यादराम पुत्र रजोल एवं प्रतिवादी न0 6 लगायत 10 के पिता नन्दराम पुत्र रजोल की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। जिसे उनके द्वारा सवंत 2037 से 2040 से पूर्व ही आपसी सहमति से विधिवत रूप से बंटवारा कर लिया, उक्त बंटवारे में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के पिता बृजलाल के हिस्से मे खसरा न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा दक्षिणी तरफ वाला , प्रतिवादी संख्या 11 के हिस्से मे ख0न0 5437/2 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा उत्तर पूर्वी वाला एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 के पिता नन्नराम के हिस्से मे ख0न0 5437/3 रकबा 1 बीघा भूमि रही है। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के पिता बृजलाल के हिस्से ख0न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा जरिये नामा0 संख्या 3022 दिनांक 21.5.86 से पिता बृजलाल के फौत होने से विरासतन प्रतिवादी न0 3 लगायत 5 की खातेदारी मे दर्ज हुआ। जिसका अंकन जमाबंदी संवत 2037 से 2040 मे दर्ज है। प्रतिवादी संख्या चरण सिह द्वारा उक्त ख0न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा मे मौजूद अपना हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहरीर दिनांक 14.3.90 पंजीकृत दिनांक 15.3.90 वादी निहाल सिह पुत्र रामश्री को तथा खातेदार दीनदयाल पुत्र बृजलाल द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा वादी पृथ्वी सिह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक ... हरीसिह पुत्र बृजलाल द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा वादी खुशाल सिह पुत्र ... को जरिये पिता बच्चू सिह को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:00 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अन्तरित कर दिया गया। इस प्रकार वादीगण ख0न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा के सम्पूर्ण रकबे के मालिक खरीद दिनांक 15.3.90 से हो गये और उक्त आराजी को फसल काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। वरवक्त खरीद तहसील हिण्डौन मे सेटलमेंट कार्य चल रहा था फिर भी वादीगण द्वारा अपने हक मे पंजीवद्व हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो के आधार पर विधिवत नामा0 तस्दीक कराने के लिए दिनांक 3.7.90 को तहसील हिण्डौन मे प्रार्थना पत्र मय रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो के उपस्थित हुए थे। जिस पर वादीगण के पक्ष मे नामा0 तस्दीक नही किया गया। सेटलमेट विभाग द्वारा खरीद की गई भूमि के नवीन खसरा न0 कायम नही किये बल्कि मूल खसरा न0 5437 के नवीन खसरा न0 7491,7492,7528 किता 3 कुल रकबा 0.97 है0 साबिक रकबा व मौके के विपरीत कायम किये गये। सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण की खरीद भूमि का नवीन खसरा न0 मिलान क्षैत्रफल मे 7528 रकबा 0.25 है0 गलत तौर पर दर्शाया है। जबकि साबिक ख0न0 5437/2 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा से नवीन ख0न0 7492 रकबा 0.47 है0, 5444 व 5437 मिर रकबा 2 विस्वा से नवीन ख0न0 7491 रकबा 0.28 है0 मिलान क्षैत्रफल मे दर्शाया है। सेटलमेट विभाग द्वारा ख0न0 7492 का रकबा 0.53 है0 के स्थान पर मिलान क्षैत्रफल मे 0.47 है0 गलत तौर पर दर्शाया है साथ ही उक्त खसरे को प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 11 की खातेदारी मे दर्ज कर दिया जवकि प्रतिवादी संख्या 11 की खातेदारी मे साबिक ख0न0 5437/2 का 1 बीघा 1 विस्वा रकबा ही रहा है जिससे मौके के अनुरूप ख0न0 7528 बनता है। जिसे सेटलमेंट द्वारा गलत रूप से दर्ज किया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 की खातेदारी व कब्जे काश्त की साबिक आराजी भूमि खसरा न0 5437/3 की 1 बीघा भूमि मे साबिक ख0न0 5444 की 2 विस्वा भूमि को सम्मिलित करते हुए हाल ख0न0 7491 रकबा 0.28 है0 , 0.01 है0 भूमि ख0न0 5437/2 की शामिल करते हुए गलत तौर पर खातेदारी मे दर्ज कर दिया है। जिसके कारण वादीगण के पक्ष मे विधिवत निष्पादित हुए पंजीकृत विक्रय पत्र साबिक ख0न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा भूमि के नामा0 वादीगण के पक्ष मे तहसीलदार द्वारा नही खोले गये है। वादीगण खरीद योम से साबिक ख0न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा से सेटलमेंट द्वारा कायम किये गये नवीन ख0न0 7492 के रकबा 0.53 है0 पर मौके पर काबिज है तथा उक्त भूमि के विधिक रूप से खातेदार घोषित होने के हकदार है। वाद पत्र की जबाब देही मे प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 द्वारा वाद मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुए अपनी खातेदारी मे दर्ज ख0न0 7491 मे प्रतिवादी संख्या 11 की खातेदारी के 0.01 है0 भूमि रकबे को शामिल होने से इंकार करते हुए हाल ख0न0 7492 रकबा 0.53 है0 पर वादीगण का योम खरीद से कब्जा होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे मे वादी के वाद पत्र के किसी भी मद को विशिष्ट रूप से इंकार नही किया है केवल यह अंकित किया है कि मद जिस प्रकार तहरीर किया है स्वीकार नही है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य था। वादीगण की और से मौखिक रूप से वादीगण की साक्ष्य करई गई है तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। जिन पर प्रदर्श डाले गये है। इसके विपरीत अधिनस्थ न्यायालय विधि के विपरीत जाकर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर गौर नही किया कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 की खातेदारी मे दर्ज रहे साबिक ख0न0 5437/1 रकबा 2 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:42:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

2 विस्वा प्रदर्श 1 मे दर्शित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 5, 8 व 11 से खरीद किया है। जिस पर वादीगण खरीद दिनांक से काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे हे। जिसे वादीगण द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित की गई है जो निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगणी और से दावे मे वांछित इन्द्राज के अनुतोष को देने मे विधि विरुद्ध रूप से इंकारी करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई है जबकि वादीगण द्वारा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबिक ख0न0 5437 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा की मुताबिक जमाबंदी 2037 से 2040 प्रदर्श 1 ता 3 एवं सेटलमेट द्वारा साबिक नक्शा प्रदर्श 17 से तैयार किये गये हाल नक्शा शीट प्रदर्श 16 व तैयार किये गये मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 13 व 14 एवं उनके आधार पर दी गई खातेदारी सवंत 2067 से 2070 से निम्न तथ्य स्थापित रूप से साबित है जिसके अनुसार रकबा 2 बीघा 2 विस्वा खातेदार वृजलाल पुत्र नथु द्वारा चरण सिह बहक निहाल सिह , दीनदयाल एवं हरिसिह को रकबा 2 बीघा 2 विस्वा मे से अपना हिस्सा 1/3 बेचान किया गया जिसके सेटलमेंट के पश्चात ख0न0 7580 रकबा 0.25 है0 कायम किये जिसे मिलान क्षेत्रफल मे साबिक ख0न0 5437 मिन रकबा 2 बीघा 2 विस्वा से वनना दर्शित किया है। जिसके सेटलमेंट के पश्चात खातेदार चरण सिह,दीनदयाल व हरिसिह प्रतिवादी न0 3 ता 5 हुए है। इसी प्रकार खसरा न0 5437/1 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा खातेदार यादराम पुत्र रजोल प्रतिवादी न0 11 को सेटलमेंट के पश्चात हाल खसरा न0 7492 रकबा 0.47 है0 मिलान क्षेत्रफल मे साबिक ख0न0 5437 मिन रकबा 1 बीघा 1 विस्वा से वनना गलत तौर से दर्शित किया है जिसके सेटलमेंट के पश्चात खातेदार मनीराम,किशन,कमल,वच्चूसिह,मानसिह पिसरान नंदराम जाति धाकड प्रतिवादी न0 6 ता 10 है। इसी प्रकार खसरा न0 5437/3 रकबा 1 बीघा खातेदार नंदराम पुत्र रजोल (पिता प्रतिवादी न0 6 ता 10) बाद सेटलमेंट हाल खसरा न0 7491 रकबा 0.28 है0 को मिलान क्षेत्रफल मे साबिक ख0न0 5437 मिन और 5444 रकबा 2 बीघा से बनना गलत तौर से दर्शित कर रखा है। साबिक खसरा न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा से हाल ख0न0 7492 कायम किया है लेकिन सेटलमेंट वालो ने उसका रकबा 0.53 है0 के स्थान पर 0.47 है0 रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी मे गलत दर्ज कर दिया है और उसकी खातेदारी भी प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के स्थान पर प्रतिवादी न0 11 के नाम दर्ज कर दी है। प्रतिवादी न0 11 की खातेदारी मे रहे साबिक ख0न0 5437/2 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा से मौके पर हाल ख0न0 7528 कायम किया गया है जिसे भी सेटलमेट कर्मियो द्वारा मिलान क्षेत्रफल मे गलत तौर से साबिक ख0न0 5437 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा से बनना जाहिर कर प्रतिवादी न0 3 ता 5 की खातेदारी मे दर्ज कर दिया है। साबिक खसरा न0 5437/3 रकबा 1 बीघा जो प्रतिवादी न0 6 ता 10 की खातेदारी का था, उससे नवीन ख0न0 5437/1 की 1 ऐयर भूमि को शामिल कर उन्हे खातेदारी दे दी है। जबकि वादीगण खरीद के दिन से ही हाल ख0न0 7492 रकबा 0.53 है0 अर्थात 2 बीघा 2 विस्वा पर ही काबिज व दखील है। काविले गौर तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण की ओर से दवा हुआ ... देखें मे भी वादीगण का हाल खसरा न0 7492 पर खरीद के दिन से ही कब्जा होना उनके द्वारा स्वीकार किया है वादीगण के वाद के कथन असत्य या गलत हो, इस बाबत कोई साक्ष्य भी पेश नही की गई है। फिर भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:00 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सेटलमेट कर्मियो द्वारा साबिक ख0न0 5437 से कायम किये गये नवीन खसरा न0 के राजस्व रिकार्ड मे की गई विधि विरूद्व त्रुटियो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साबित होते हुए भी साबित नही मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व पारित की है जो निरस्त योग्य है। वादीगण साबिक ख0न0 5437/1 की प्रतिवादी न0 3 ता 5 की खातेदारी मे दर्ज रही 2 बीघा 2 विस्वा भूमि को वर्ष 1990 मे खरीद कर कब्जे मे लेने के दिन से आज तक काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। जिसके मुताबिक साबिक व नवीन नक्शा शीट हाल ख0न0 7492 नवीन नक्शा शीट मे कायम हुए है। लेकिन सेटलमेंट कर्मियो द्वारा उक्त खसरे का रकबा 0.53 है0 के स्थान पर 0.47 है0 कायम कर प्रतिवादी न0 11 की खातेदारी मे एवं प्रतिवादी न0 3 की खातेदारी के साबिक ख0न0 5437/2 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा से कायम किये गये नवीन ख0न0 7528 की खातेदारी प्रतिवादी न0 3 ता 5 के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दी है जिसके सवंध मे वादीगण के पक्ष मे स्वामित्व व कब्जा विधिक रूप से होते हुए भी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने के स्थान पर दावा वादीगण खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे तनकीयात का पृथक पृथक रूप से कोई निर्णय नही किया है केवल मात्र निर्णय के अंतिम पेज मे सभी तनकीयात को पृथक पृथक तय करने के स्थान पर केवल इतना लिखा है कि वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी शहादत से उक्त वाद पत्र मे चाहे अनुतोष को साबित करने मे असफल रहा है। इसलिए वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण नही किया है तथा साक्ष्य से किस प्रकार संतुष्ट नही है इसका अभिमत भी प्रकट नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पश्चात जानकारी करने पर पता चला कि प्रतिवादी न0 3 व 11 वर्ष 2018 मे फौत हो चुके है उनकी मृत्यु की सूचना आदेश 26 नियम 10 जा.दी. के प्रावधानो के तहत उनके अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को नही दी गई। इसलिए मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र डिक्री फरमाया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादीगण/अपीलांट द्वारा साबिक खसरा न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा मे मौजूद अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्रो से वादीगण द्वारा खरीद किया गया है। इस प्रकार वादीगण/अपीलांट खसरा न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा के सम्पूर्ण रकबे के मालिक हो गये है। वरवक्त खरीद कस्बा हिण्डौन सिटी मे सेटलमेंट होने के कारण विक्रय पत्रो का नामा0 तस्दीक नही हो सका। जिसकी खातेदारी वादीगण/अपीलांटगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। सेटलमेंट ऑपरेशन के पश्चात भूमि खसरा न0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 [illegible] नवीन खसरा न0 कायम नही किये बल्कि मूल खसरा न0 5437 रकबा 4 बीघा 3 [illegible] 7491,7492,7528 कुल रकबा 0.97 है0 ही साबिक रकबा व [illegible] कर दिये है। सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण की और से खरीद की गई भूमि रकबा 2 बीघा [illegible] विस्वा का नवीन खसरा नम्बर मिलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

क्षैत्रफल मे 7528 रकबा 0.25 है0 गलत तौर पर दर्शा दिया है। जबकि वादीगण/खरीद योम से भूमि पर काबिज है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नही किया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 11 के विधिक वारिसान को पक्षकार नही बनाया है। पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट का यह तथ्य साबित है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 1.9.21 मे तनकीयाम कायम करने का उल्लेख है परन्तु पारित निर्णय मे किसी प्रकार की तनकीयात का उल्लेख नही है। इस प्रकार आलोच्य निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरीत है तथा मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से अपास्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को मृतक प्रतिवादी संख्या 3 व 11 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा वादग्रस्त आराजीयात का साबिक एवं हाल रिकार्ड का मिलान करते हुए तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का विधिवत रूप से विवेचन किये जाने के उपरान्त पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 186/13 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मृतक प्रतिवादी संख्या 3 व 11 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर दावा एवं जबाब दावा अनुसार तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के न्यायालय मे दिनांक 27.01.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:00 IST
Reason: SelfAttested